भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1540

31 जुलाई, 2024 के लिए प्रश्न

गोदामों का निर्माण

1540. श्री मड्डीला गुरुमर्ति:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020-2021 के दौरान गोदामों के निर्माण हेतु निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य हासिल न होने के क्या कारण हैं;

(ख) इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए मंत्रालय अथवा भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई)द्वारा उठाए गए/अपनाए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में मिनी गोदाम बनाने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ड.) क्या सरकार ने उक्त समिति की सिफारिशों के अनुसार भंडारण स्थान के किराए पर खर्च की गई निधियों को बचाने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपनी भंडारण क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के तरीकों पर विचार किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग पूर्वोत्तर (एनईआर) के साथ-साथ कुछ अन्य राज्यों में भंडारण क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देने सहित गोदामों के निर्माण के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम (पूर्ववर्ती योजना स्कीम) "भंडारण और गोदाम" लागू कर रहा है।

वर्ष 2020-2021 के दौरान भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा गोदामों के निर्माण से जुड़े वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों के पूर्ण न होने के कारण निम्नानुसार हैं:

(i) वर्ष 2020-2021 के लिए मुख्य रूप से कोविड महामारी और उसके बाद जनशक्ति के अभिगमन एवं साइट पर सामग्री लाने आदि के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंध।
(ii) कठिन भौगोलिक स्थिति,

...2/-

(iii) प्रतिकूल भूभाग,
(iv) अत्यधिक वर्षा,
(v) पूर्वोतर की विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा एफसीआई को भूमि पार्सल सौंपने में देरी।

केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम के तहत परियोजनाओं की निगरानी के लिए, मंत्रालय द्वारा एफसीआई मुख्यालय और राज्य सरकारों के इंजीनियरिंग अधिकारियों के साथ आवधिक बैठकें आयोजित की जाती हैं।

इसके अतिरिक्त, मासिक निष्पादन समीक्षा (एमपीआर) बैठक के दौरान मासिक आधार पर इन स्थानों पर काम की प्रगति का पता लगाने के लिए एफसीआई द्वारा समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

इसके अलावा, कार्यकारी निदेशक (ईडी) (इंजीनियरिंग)/महाप्रबंधक (जीएम) (इंजीनियरिंग), एफसीआई मुख्यालय, आंचलिक कार्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ कार्य की प्रगति की जांच करने तथा कार्य की सुचारू प्रगति के लिए किसी भी सड़क जाम एवं अवरोध के समाधान के लिए समीक्षा बैठकें भी आयोजित करता है।

(ग) और (घ): भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लिए और बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए खरीद के बाद मुख्य रूप से खाद्यान्न (गेहूं और चावल) का भंडारण करता है, ताकि देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) में भंडारण क्षमता की आवश्यकता खाद्यान्न (चावल और गेहूं) के खरीद के स्तर, बफर मानदंडों की आवश्यकता और पीडीएस प्रचालनों पर निर्भर करती है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) लगातार भंडारण क्षमता का आकलन और निगरानी करता है एवं भंडारण अंतराल आकलन के आधार पर भंडारण क्षमताएं पूरे भारत में निम्नानुसार स्कीमों के माध्यम से सृजित की जाती/किराए पर ली जाती हैं।

1. सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के तहत साइलो का निर्माण।
2. निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) स्कीम।
3. केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम "भंडारण और गोदाम"।
4. केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी)/राज्य भंडारण निगमों (एसडब्ल्यूसी)/राज्य एजेंसियों से गोदाम किराए पर लेना।
5. निजी वेयरहाउसिंग स्कीम (पीडब्ल्यूएस)
6. संपत्ति मुद्रीकरण के तहत गोदामों का सृजन।

(ड.) और (च): सरकारों की अपनी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, एफसीआई की समीक्षा बैठकों में राज्य-वार क्षमता उपयोग की निगरानी की जाती है ताकि एफसीआई की क्षमता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
